

छत्तीसगढ़ शास

श्रम विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 18.07.2012

क्रमांक एफ 11-2/2012/16 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (केन्द्रीय अधिनियम 1996 की संख्या 27) की धारा 62 एवं 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, विशेषज्ञ समिति की परामर्श पश्चात्, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है। यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् दिनांक 08 मई 2008 से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. नियम 272 के उप नियम (2) में, शब्द "पच्चीस रूपये" के स्थान पर, शब्द "तीन वर्ष के लिए एक रू." प्रतिस्थापित किया जाये।
2. नियम 272 के उप नियम (7) में, शब्द "पच्चीस रूपये" के स्थान पर, शब्द "दस रू." प्रतिस्थापित किया जाये।
3. नियम 277 के उप-नियम (1) की सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"सारणी"

प्रसुविधाएं तथा सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलाप

स.क्र.	प्रसुविधा	न्यूनतम वर्षों की संख्या, जिसके लिए किसी हिताधिकारी द्वारा प्रसुविधा हेतु पात्र होने के लिए निधि में अंशदान किया हुआ होना चाहिए.
(1)	(2)	(3)
1.	पेंशन	
	1.1 वृद्धावस्था पेंशन	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
	1.2 परिवार पेंशन	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
	1.3 निःशक्तता	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
2.	गृह निर्माण सहायता	
	2.1 मकान के क्रय या निर्माण के लिए ऋण	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
	2.2 किसी गृह निर्माण हेतु वित्तीय संस्था से लिए गए गृह निर्माण ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
3.	शिक्षा सहायता	
	3.1 छात्रवृत्ति	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
	3.2 शिक्षा ऋण	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
	3.3 किसी वित्तीय संस्था से लिए गए शिक्षा ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
	3.4 मेधावी छात्रों को नगद पुरस्कार	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा

4.	आय संवर्धन के लिए सहायता		
	4.1	औजारों तथा छोटी मशीनों के कय हेतु ऋण	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय
	4.2	अनुपूरक आय अर्जित करने वाले क्रियाकलापों के लिए ब्याज सब्सिडी	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
5.	विवाह सहायता		मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
6.	चिकित्सा सहायता		मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
7.	प्रसूति सहायता		मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
8.	बीमा सहायता		
	8.1	समूह बीमा	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
	8.2	बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए सहायता	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
9.	मृत्यु के मामलों में सहायता		
	9.1	अंतिम संस्कार सहायता	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
	9.2	अनुग्रह राशि भुगतान	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी० आर० मालवीय)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

NOTIFICATION

No F 11-2/2012/16 In exercise of the powers conferred by Section 62 and 40 of Building & Other Construction Worker's (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (Central Act No. 27 of 1996), the State Government, after consultation with the Expert Committee, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Building and Other Construction Worker's (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008. This amendment shall come into force with retrospective effect i.e. from 8th May 2008, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

1. In sub-rule (2) of rule 272, for the words "Rs. Twenty five" the words "Rs. one for three years" shall be substituted.
2. In sub-rule (7) of rule 272, for the words "Rs. Twenty five" the words "Rupees Ten" shall be substituted.

3. For Table of sub-rule of rule 272, the following Table shall be substituted, namely :-

"TABLE"
Benefits and General Welfare Activities

S.No.	Benefit	Minimum number of years for which a beneficiary should have contributed the subscription for becoming eligible for the benefit
(1)	(2)	(3)
1.	Pension	
1.1	Old Age Pension	Time limit as decided by Board
1.2	Family Pension	Time limit as decided by Board
1.3	Disability	Time limit as decided by Board
2.	Assistance for Housing	
2.1	Loan for Purchase or construction of House.	Time limit as decided by Board
2.2	Interest Subsidy for Housing Loan, taken from a housing finance institution.	Time limit as decided by Board
3.	Education Assistance	
3.1	Scholarship	Time limit as decided by Board
3.2	Education Loan	Time limit as decided by Board
3.3	Interest Subsidy for Education Loan taken from a financial institution	Time limit as decided by Board
3.4	Cash award to meritorious students	Time limit as decided by Board
4.	Assistance for Income Augmentation	
4.1	Loan for purchase of Tools & Small machines	Time limit as decided by Board
4.2	Interest subsidy for Supplementary Income generating activities	Time limit as decided by Board
5.	Marriage Assistance	Time limit decided by Board
6.	Medical Assistance	Time limit decided by Board
7.	Maternity Assistance	Time limit decided by Board
8.	Insurance Assistance	
8.1	Group Insurance	Time limit as decided by Board
8.2	Assistance for payment of Insurance Premium	Time limit as decided by Board
9.	Assistance in Case of Death	
9.1	Funeral Assistance	Time limit as decided by Board
9.2	Ex-gratia payment	Time limit as decided by Board

By order and in the name of
Governor of Chhattisgarh

(G.R. Malviya)
Deputy Secretary
Govt. of C.G. Labour Deptt.

पृष्ठांकन क्र० एफ 11-2/2012/16

रायपुर, दिनांक 18-07-201

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ०ग०)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ०ग०)
6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ०ग०)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी(छ०ग०)
8. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा(छ०ग०)
9. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग